उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–455/ix-1//90/2016/2019
देहरादून दिनांक : 26, सितम्बर, 2019

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1400/ix-1/2016/90/2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016, अधिसूचना संख्या–1179/ix-1/2016/90/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 तथा अधिसूचना संख्या–252/ix-1/90/2016/2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेन्सी के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र स.	पदनाम	प्रास्थिति	स्वीकृत पदों की संख्या एवं वेतनमान (रू0 में)	भर्ती का स्रोत
1.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	अध्यक्ष	01 पद (रू0 78,800–2,08,200)	विभागीय पदोन्नति द्वारा।
2.	सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा	सदस्य	01 पद (रू0 56100–1,77,500)	परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा परिवहन आयुक्त संगठन से नाम निर्दिष्ट अधिकारी, जो परिवहन कर अधिकारी–1 (रू 56100–1,77,500) से निम्न स्तर का न हो
3	सहायक निदेशक, (अभियन्त्रण सेवा)	सदस्य	01 पद (रू0 56100–1,77,500)	लोक निर्माण विभाग से ऐसे अभियन्ता जो, सहायक अभियन्ता, रू 56100–1,77,500 पर अथवा उच्च पद पर कार्यरत हों, **अथवा** ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता जो वेतन मान रू0 44900–1,42,400 में मौलिक रूप से नियुक्त हों और जिन्होंने इस रूप से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सेवा स्थानान्तरण द्वारा।
4	सहायक निदेशक (पुलिस सेवा)	सदस्य	01 पद (रू0 56100–1,77,500)	पुलिस विभाग के ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना प्रस्तावित है, जो उप अधीक्षक/सीओ, जो रू 56100–1,77,500 पर अथवा उच्च पद पर कार्यरत हों, कार्यरत हों, **अथवा** निरीक्षक/यातायात निरीक्षक, जो वेतन मान रू0 47600–1,51,100 में मौलिक रूप से नियुक्त हो और जिन्होने इस रूप से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सेवा स्थानान्तरण द्वारा।
5.	सहायक निदेशक (शिक्षा)	सदस्य	01 पद (रू0 56100–1,77,500)	शिक्षा विभाग से ऐसे अधिकारी को सेवा स्थानान्तरण पर लिया जाना प्रस्तावित है, जो (रू 56100–1,77,500) अथवा इससे अधिक वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त हों, सेवा स्थानान्तरण द्वारा।
6	सहायक निदेशक (चिकित्सा)	सदस्य	01 पद (रू0 56100–1,77,500)	चिकित्सा विभाग के ऐसे अधिकारी को सेवा स्थानान्तरण पर लिया जाना प्रस्तावित है, जो (रू 56100–1,77,500) अथवा इससे अधिक वेतनमान में मौलिक रूप से नियुक्त हों।

4— संयुक्त परिवहन आयुक्त का पद भरे जाने तक आयुक्त, परिवहन द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त के द्वारा लीड एजेन्सी के अध्यक्ष के रूप में कार्य देखा जायेगा।

5— उक्त सड़क सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेंसी के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु मिनिस्ट्रियल संवर्ग पदों का कार्य परिवहन विभाग में कार्यरत वर्तमान निम्नलिखित मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों (Existing staff) द्वारा सम्पादित किया जायेगा:—

(1) प्रशासनिक अधिकारी	01 पद
(2) प्रधान सहायक	01 पद
(3) वरिष्ठ सहायक	01 पद
(4) कनिष्ठ सहायक सह टंकण	02 पद
(5) अनुसेवक	02 पद

6— यदि लीड एजेंसी में कार्य की अधिकता है, तो विभागीय मिनिस्ट्रीयल पदों में से ही कनिष्ठ सहायकों अतिरिक्त का कार्य लिया जायेगा।

7— उक्त लीड ऐजेन्सी द्वारा निम्नवत् कार्यो का सम्पादन किया जायेगा:—

(1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद की बैठकों का प्रबन्धन करना, बैठक के कार्यवृत्त जारी करना एवं बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन कराना।

(2) मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बनाना, आदेशों का क्रियान्वयन कराना और उसकी रिपोर्ट समिति को प्रेषित करना।

(3) भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराना।

(4) सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली जनहित को कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना, वार्षिक कार्य—योजना बनाना तथा उसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

(5) राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का निरन्तर डाटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए, आवश्यक कार्यवाही कराना।

(6) राज्य सड़क सुरक्षा कोष का प्रबन्धन करना।

(7) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यों का अनुश्रवण करना।

(8) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराया जाना।

(9) सड़क सुरक्षा सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

8— संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद के सम्बन्ध में सेवा नियमावली में यथा प्रक्रिया नियमानुसार संशोधन कराया जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—626/xxvii(7)/2019, दिनांक 13 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या 455(1)/ ix-1/90/2016/ 2019तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2— प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, चिकित्सा विभाग, गृह एवं शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त लीड एजेन्सी हेतु अपने विभाग से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को नामित करते हुए उक्त लीड एजेन्सी के अध्यक्ष के कार्यालय से यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

4— संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुए उक्त की 50 प्रतियां परिवहन अनुभाग—1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)

अनु सचिव।